

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 4(1)(1) नपा/रानिआ/2020/8354

दिनांक: 11-10-2020

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर),
जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।

विषय:- नगरनिगम आम चुनाव माह अक्टूबर-नवम्बर, 2020 – आदर्श आचरण संहिता – राजकीय खर्च पर सरकारी विज्ञापन जारी नहीं करने के संबंध में।

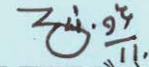
महोदय,

राज्य के 06 नगर निगम में आम चुनाव माह अक्टूबर – नवम्बर, 2020 में कराने हेतु आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निगम में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। आचार संहिता के दौरान राजकीय खर्च पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शित करने वाले किसी भी तरह के विज्ञापनों को जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसी प्रकार आचार संहिता के दौरान आचार संहिता से प्रभावित नगर निगमों द्वारा अपनी पांच वर्षों की उपलब्धियों हेतु राजकीय खर्च पर किसी भी तरह के विज्ञापनों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। ऐसे नगर निगम द्वारा राजकीय खर्च पर निगम की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स आदि को प्रदर्शित किया जाना भी पूर्णतया निषेध रहेगा।

कृपया पालना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)

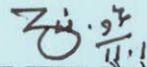
उप सचिव

दिनांक: 11-10-2020

क्रमांक: एफ. 4(1)(1) नपा/रानिआ/2020/8355-58

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, संबंधित नगर निगम मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव